FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ——————अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02———मुकाम

किशनगढ़

अनिता ———बनाम**——— बसराज व अन्य**

किस्म मुकदमा ——— एमएसी संख्या 44/2023 (54/2023) ————

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
09-01-2026	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी अनिता व इंद्राज की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के दो प्रार्थना पत्रो का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। बहस उभयपक्ष गतपेशी पर सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार की मृत्यु होने की जानकारी दिनांक 12.02.2025 को हुई थी जिसकी जानकारी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर हुई। सुरेश कुमार के वारिसान प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 मे अंकित है तथा प्रार्थना पत्र विहित अवधि मे पेश किया गया है अतः उन्हे रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी की ओर से कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता वारिसान अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए वारिसान के विरूद्ध कोई कार्यवाही शेष नही होने से रिकॉर्ड पर नही लिये जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने जरिये प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार की मृत्यु होने से उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया है उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की मृत्यु होने की जानकारी से विहित समय मे पेश किया गया है प्रकरण मे वादकारण जारी है अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर के प्रार्थना पत्र मे वर्णित अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण संशोधित शीर्षक पेश करे पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक दिनांक 30.01.2026 को पेश हों।	